



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1772

दिनांक-23-07-2025

### जोन-मध्य/थाना-आशियाना

आपरेशन कन्विकशन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना आशियाना लखनऊ से सम्बन्धित 01 आरोपी को 02 वर्ष 02 माह के कठोर कारावास एवं 25,000 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

#### 01-संक्षिप्त विवरण:-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे आपरेशन कन्विकशन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय लखनऊ महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय में सघन पैरवी के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त (मध्य) के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक आशियाना लखनऊ के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 ज्योत पाल के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 23.07.2025 सम्बन्धित मु.अ.सं. 177/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना आशियाना लखनऊ सम्बन्धित अभियुक्त आलोक जैना पुत्र कलपतरु निवासी 89 सेक्टर M EWS किला मोहम्मदी नगर थाना आशियाना जनपद लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 02 वर्ष 02 माह का कठोर कारावास व 25,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

#### 02-नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग-

01- आलोक जैना पुत्र कलपतरु निवासी 89 सेक्टर M EWS किला मोहम्मदी नगर थाना आशियाना जनपद लखनऊ

#### 03-आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

| क्र.सं. | मु.अ.सं. | धारा               | थाना    |
|---------|----------|--------------------|---------|
| 1.      | 177/2020 | 8/22 एनडीपीएस एक्ट | आशियाना |

#### 04-फैसला-

अभियुक्त आलोक जैना पुत्र कलपतरु उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुये 02 वर्ष 02 माह कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1770

दिनांक-22-07-2025

### जोन-मध्य/थाना-आशियाना

आपरेशन कन्विकशन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना आशियाना लखनऊ से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 10,000 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

#### 01-संक्षिप्त विवरण:-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय लखनऊ महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय में सघन पैरवी के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त (मध्य) के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक आशियाना लखनऊ के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 ज्योत पाल के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय पाक्सो एक्ट में लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 22.07.2025 सम्बन्धित मु.अ.सं. 455/2019 धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना आशियाना लखनऊ सम्बन्धित अभियुक्त सौरभ दीक्षित पुत्र सुरेश दीक्षित निवासी 1/669 रुचिखण्ड द्वितीय शारदानगर थाना आशियाना लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

#### 02-नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग-

01- सौरभ दीक्षित पुत्र सुरेश दीक्षित निवासी 1/669 रुचिखण्ड द्वितीय शारदानगर थाना आशियाना लखनऊ

#### 02- 03-आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

| क्र.सं. | मु.अ.सं. | धारा           | थाना    |
|---------|----------|----------------|---------|
| 1.      | 455/2019 | धारा 376 भादवि | आशियाना |

#### 04-फैसला-

अभियुक्त सौरभ दीक्षित पुत्र सुरेश दीक्षित उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुये 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

**05-पैरवीकर्ता-**

- 01.प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह थाना आशियाना लखनऊ
- 02.अभियोजक श्री अभिषेक उपाध्याय
- 03.का० ज्योत पाल (पैरोकार) थाना आशियाना लखनऊ
- 04.कोर्ट मोहम्मद हे०का० प्रवीण वर्मा
- 05 कोर्ट मोहम्मद हे०का० निधेश कुमार





## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1771

दिनांक-22-07-2025

### जोन-मध्य/थाना-आशियाना

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 357/2022 धारा 376D/323/504/506 भादवि थाना आशियाना लखनऊ से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को 11 वर्ष कठोर कारावास एवं 3 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

### 01-संक्षिप्त विवरण:-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय लखनऊ महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय में सघन पैरवी के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त (मध्य) के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक आशियाना लखनऊ के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 भूपेन्द्र शुक्ला के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय एडीजे -09 लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 22.07.2025 सम्बन्धित मु.अ.सं. 357/2022 धारा 376D/323/504/506 भादवि थाना आशियाना लखनऊ सम्बन्धित अभियुक्त शिवम मिश्रा पुत्र राकेश चन्द्र मिश्रा निवासी हरदोई चुंगी थाना कोतवाली सीतापुर को दोषसिद्ध करते हुए धारा 376 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 3000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व धारा 323 भादवि में 1 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है।

### 02-नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग-

01- शिवम मिश्रा पुत्र राकेश चन्द्र मिश्रा निवासी हरदोई चुंगी थाना कोतवाली सीतापुर

### 03-आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

| क्र.सं. | मु.अ.सं. | धारा                        | थाना    |
|---------|----------|-----------------------------|---------|
| 1.      | 357/2022 | धारा 376D/323/504/506 भादवि | आशियाना |

### 04-फैसला-

अभियुक्त शिवम मिश्रा पुत्र राकेश चन्द्र मिश्रा उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुये 11 वर्ष कठोर कारावास एवं 3 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की अदायगी न किये जाने पर दोषसिद्ध अभियुक्त को एक महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगनी होगी।



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1773

दिनांक-24.07.2025

- अवैध गाँजा की बिक्री करने वाले 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से 1120 ग्राम गाँजा की बरामद।

### 01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.07.2025 को उ0नि0 शिवप्रकाश सिंह चौकी प्रभारी मवैया मय हमराह उ0नि0 अभिषेक द्विवेदी व का 8558 विकास राज के संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग करते हुए गश्त कर रहे थे तभी कैब वे कट मवैया के पास संदिग्ध व्यक्ति की जामा तलाशी लेने पर उसके पास से 1120 ग्राम अवैध गाँजा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना आलमबाग पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 137/2025 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

अवैध गाँजा बिक्री करने वाले अभियुक्त संजय सोनी पुत्र राजाराम निवासी मवैया झोपड़पट्टी थाना आलमबाग लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष को दिनांक 24.07.2025 को कैबवे कट पुल के पास थाना आलमबाग लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

### 02-गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संजय सोनी पुत्र राजाराम निवासी मवैया झोपड़पट्टी थाना आलमबाग लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष

### 03- बरामदगी:-

➤ कुल 1120 ग्राम गाँजा की बरामदगी।

### 04-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 137/2025 धारा 8/20 NDPS Act थाना आलमबाग लखनऊ

### 05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 शिव प्रकाश सिंह थाना आलमबाग लखनऊ
2. उ0नि0 अभिषेक द्विवेदी थाना आलमबाग लखनऊ
3. का0 विकास राज थाना आलमबाग लखनऊ